उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

फौजदारी अपील सं 70 वर्ष 2008

श्रीमती. प्रेमा शाह.......... अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य...... उत्तरदाता

श्री एल. के. तिवारी, अधिवक्ता और श्री हरि मोहन भाटिया, अपीलकर्ता की ओर से न्यायालय मित्र।

श्री ए.एस. गिल, सरकारी अधिवक्ता, सहायक श्री वी.पी. बहुगुणा, संक्षिप्त धारक, उत्तराखंड राज्य के लिए /प्रतिवादी।

कोरमः माननीय बारीन घोष, सी.जे.

माननीय आलोक सिंह, जे.

तारीखः 19 मार्च, 2013

आलोक सिंह, जे।

अपीलकर्ता, सत्र न्यायाधीश, बागेश्वर द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27 फरवरी, 2008 को सत्र परीक्षण संख्या 15, 2007 में चुनौती दे रहा है, जिसमें सत्र न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को धारा 20 (बी) (ii) (सी) द नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया है। साथ-साथ आबकारी

अधिनियम की धारा 60 और धारा 20(बी)(ii)(सी) के तहत दंडनीय अपराध के लिए 20 साल की अवधि के लिए उसे कठोर कारावास की सजा सुनाई है और ₹ 2,00,000/- का जुर्माना देना होगा, ऐसा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी और अपीलकर्ता को ₹ 10,000/- का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है, जिसमें विफल रहने पर आबकारी अधिनियम की धारा 60 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दो महीने का साधारण कारावास भुगतना होगा।

2. अन्य बातों के साथ-साथ संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि एस.एस.आई. दीवान सिंह बिष्ट (PW1), कांस्टेबल सुभाष चंद्र (PW2) और अन्य पुलिस कर्मियों के साथ, 29 अप्रैल, 2007 को लगभग शाय 06:05 बजे गश्त के उद्देश्य से पुलिस स्टेशन से निकले। जैसे ही गश्ती दल झूलापुल तिराहा के पास पहुंचा, उन्होंने अपीलकर्ता को दूसरी तरफ से सिर पर एक थैला लिए आते देखा। पुलिस दल ने उसे रुकने का संकेत दिया, यद्यपि वह संकरी गली की ओर मुड़ गई और तेजी से चलने लगी। हालाँकि, उसे रोका गया और उससे पूछा गया कि चूंकि पुलिस कर्मियों को उस पर संदेह है, वे उसके द्वारा ले जाए जा रहे बैग की जाँच करना चाहते हैं इसलिए, यदि वह चाहती है, तो उसे सिटी मजिस्ट्रेट या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में जाँच की जा सकती है। इस पर उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें पुलिस

कर्मियों द्वारा तलाशी लेने में कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए, पीडब्लू1 ने पुलिस स्टेशन से महिला कांस्टेबलों को फोन पर बुलाया। सुनीता रानी (पीडब्लू 6), एक महिला कांस्टेबल और एक अन्य महिला कांस्टेबल, गीता रावत, मौके पर पहुंची और तलाशी ली गई। अपीलकर्ता द्वारा ले जाया जा रहा थैला खोला गया, जिसमें से चार अलग-अलग थैलों में रखी 20 चौथाई देशी शराब और लगभग 6 किलोग्राम चरस बरामद की गई। चरस वाले चार बैगों में से प्रत्येक से 50-50 ग्राम के नमूने लेने के पश्चात सभी बरामद वस्तुओं को एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया था और उसके पश्चात अपीलकर्ता को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और एक चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एक्स क. 12) पंजीकृत किया गया था। इस प्रकार बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को स्टेशन हाउस अधिकारी की प्रति-मुहर प्राप्त करने के पश्चात माल खाना में रखा गया था। मामले की जांच करने के बाद, अपीलकर्ता के विरुद्ध एनडीपीएस अधिनियम की खंड (सेक्शन) 8/20 और आबकारी अधिनियम की खंड (सेक्शन) 60 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया था।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से, अभियोजन पक्ष के सात गवाहों की जांच की गई और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें कहा गया कि प्रतिबंधित पदार्थ से लिए गए नमूने चरस पाए गए थे। अभिलेख पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर विचार करने के बाद, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अपील में निर्णय और आदेश पारित किया।

4. हमने श्री एल. के. तिवारी, विद्वान अधिवक्ता, अपीलकर्ता की ओर से और श्री ए. एस. गिल, विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता साथ श्री वी. पी. बहुगुणा, संक्षिप्त धारक, राज्य के लिए, को सुना और अभिलेख के साथ-साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।

5. पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू6 के बयानों को पढ़ने के बाद निम्नलिखित तथ्य सामने आए हैं, जो इस प्रकार हैं :-

(i) अपीलकर्ता को 29 अप्रैल, 2007 लगभग 08:15 p.m. पर झूलापुल के पास बागेश्वर बाजार में गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा सिर पर रख कर ले जा रहे बैग से 20 चौथाई देशी शराब के साथ-साथ 6 किलोग्राम चरस चार बैगों से कथित तौर पर बरामद किए गए।

(ii) जबकि चिक रिपोर्ट 29 अप्रैल, 2007 को 11:10 p.m. पर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, PW1 और PW2 के बयानों के अनुसार, यह भी अभिलेख पर आया है कि पुलिस स्टेशन उस स्थान से मुश्किल से 1 किमी दूर है, जहां अपीलकर्ता को पकड़ा गया था।

(iii) पेपर-बुक के पेपर नं. 11 से यह भी सिद्ध किया गया है कि अपीलकर्ता के कब्जे से इस प्रकार बरामद प्रतिबंधित पदार्थ को पहली बार 30 अप्रैल, 2007 की सुबह स्टेशन हाउस अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था और उसने 30 अप्रैल, 2007 की सुबह बंडलों पर अपनी

मुहर लगा दी थी और उसके बाद बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को मालखाने में रखा गया था।

(iv) यह पीडब्लू1, पीडब्लू2 और पीडब्लू6 के बयानों से आया है कि कथित तौर पर चार बैगों में से प्रत्येक से 50-50 ग्राम चरस मौके पर नमूने के रूप में एकत्र किया गया था और कोई नमूना मजिस्ट्रेट या किसी वरिष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में एकत्र नहीं किया गया था।

(v) पीडब्लू1 ने कहा है कि राजपत्रित अधिकारी और मजिस्ट्रेट उस स्थान के एक किलोमीटर के भीतर रह रहे थे, जहाँ से, अपीलकर्ता को पकड़ा गया था। उन्होंने अग्रेतर कहा है कि अपीलकर्ता को गिरफ्तार करने से पहले मजिस्ट्रेट से कोई अनुमति या वारंट प्राप्त नहीं किया गया था।

6. अधिनियम की धारा 51 के अनुसार, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधान लागू होंगे, जहां तक वे अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं हैं।

7. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 46 की उप-धारा (4) के अनुसार, एक महिला को केवल एक महिला पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रिपोर्ट बनाकर और इलाका न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति प्राप्त करके गिरफ्तार किया जा सकता है, जहां या तो

अपराध किया जाता है या गिरफ्तारी की जानी है। हालांकि, असाधारण परिस्थितियों में इलाका न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

8. जैसा कि ऊपर देखा गया है और जैसा कि पीडब्लू 1 द्वारा कहा है, अपीलकर्ता को 29 अप्रैल, 2007 की रात 08:15 बजे झूलापुल के पास बागेश्वर के व्यस्त बाजार से गिरफ्तार किया गया और मजिस्ट्रेट घटनास्थल से एक किलोमीटर के भीतर रह रहे थे। इसलिए, हम यह समझने में विफल हैं कि संहिता की धारा 46 की उप-धारा (4) का अनुपालन क्यों नहीं किया गया। इसलिए, हमारे दृढ़ विचार में, अपीलकर्ता की गिरफ्तारी संहिता की धारा 46(4) का उल्लंघन है। ऐसा प्रतीत होता है कि कोई बाध्यकारी या ऐसी असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं, जो बिना मजिस्ट्रेट को कोई रिपोर्ट दिए और सक्षम मजिस्ट्रेट से अनुमति और वारंट प्राप्त किए बिना अपीलकर्ता की गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहरा सकती हैं।

9. इसके अलावा, पीडब्लू1 के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता द्वारा पुलिस दल द्वारा तलाशी लेने के लिए सहमत होने के पश्चात पीडब्लू1 ने पुलिस स्टेशन से महिला कांस्टेबलों को बुलाया ताकि अपीलकर्ता को महिला कांस्टेबलों द्वारा तलाशी ली जा सके और उसके पश्चात पीडब्लू6 के साथ-साथ श्रीमती. गीता रावत (दोनों महिला कांस्टेबल) मौके पर

पहुंची और मौके पर पहुंचने के बाद दोनों महिला कांस्टेबलों ने अपीलकर्ता द्वारा लिए जा रहे थैले की तलाशी शुरू कर दी।महिला कांस्टेबल, पीडब्लू6 का कहना है कि पुलिस स्टेशन में लगभग 07:15 p.m. बजे टेलीफोन कॉल प्राप्त हुई थी और वह 07:30 p.m. पर मौके पर पहुंची। वह अग्रेतर कहती है कि, मौके पर पहुंचने के पश्चात दोनों महिला कांस्टेबलों ने अपीलकर्ता से कहा था कि, यदि वह चाहती है, तो उसकी तलाशी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में की जा सकती है। उस पर, अपीलकर्ता ने उत्तर दिया कि वह किसी मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी को नहीं जानती है, इसलिए, पुलिस उसकी और उसके सामान की तलाशी ले सकती है। पीडब्लू1 के बयान के अनुसार, अपीलकर्ता से पूछा गया था कि क्या वह मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में अपनी तलाशी चाहती है और जब उसने पुलिस अधिकारियों द्वारा तलाशी लेने की सहमति दी थी, तो पीडब्लू1 ने उसके बाद महिला कांस्टेबलों को टेलीफोन पर बुलाया। पीडब्लू1 का कहना है कि महिला सिपाहियों ने भी अपीलकर्ता को ऐसा विकल्प दिया था। इसलिए, पीडब्लू1 और पीडब्लू6 के बयानों में बड़े विरोधाभास प्रतीत होते हैं। मात्र नहीं, पीडब्लू1 ने अपनी जिरह की पहली पंक्ति में कहा कि पुलिस कर्मी रात 08:15 बजे झूलापुल तिराहा पहुंचे और इसके तुरंत बाद अपीलकर्ता को रात 08:15 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। यह बयान उनके पिछले बयान को गलत साबित करता है कि महिला

कांस्टेबलों को टेलीफोन पर बुलाया जाता था और उसके बाद महिला कांस्टेबलों ने तलाशी ली। इसके अलावा, पीडब्लू 6, महिला कांस्टेबल ने कहा कि वह लगभग रात 07:30 बजे मौके पर पहुंची। और पुलिस कर्मी केवल 30 मिनट तक मौके पर रहे और इसके तुरंत बाद, वे सभी अपीलकर्ता के साथ रात 08:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। और पूरे मादक पदार्थ और अपीलकर्ता को रात 08:30 बजे पुलिस स्टेशन को सौंप दिया गया। यदि पुलिस कर्मी और अपीलकर्ता रात 08:30 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे थे, जैसा कि पीडब्लू 6 ने कहा है, तो पहली सूचना रिपोर्ट रात 11:10 बजे क्यों दर्ज की गई, यह स्पष्ट नहीं किया गया है।

10. अधिनियम की खंड 55 इस प्रकार हैः

> "55. **पुलिस अभिगृहीत और परिदत्त की गई वस्तुओं का कार्यभार ग्रहण करेगी ।** - एक पुलिस थाने का प्रभारी अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेशों तक, उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के से जब्त की गई सभी वस्तुओं का प्रभार लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा, और किसी भी अधिकारी को, जो ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने में जा सकता है या जिसे इस उद्देश्य के लिए प्रतिनियुक्त किया जा सकता है, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुहर लगाने या उनसे नमूने लेने की अनुमति देगा और इस तरह लिए गए सभी

नमूनों को भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर से सील कर दिया जाएगा।"

11. अधिनियम की धारा 55 का अध्ययन करने के बाद, हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, ऐसे प्रतिबंधित जब्त पदार्थ और उसे अग्रेसित किए गए वर्जित पदार्थ को सुरक्षित हिरासत में रखने के लिए जिम्मेदार है, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लंबित रहने तक, वह उस अधिकारी को जो ऐसी वस्तुओं के साथ पुलिस स्टेशन जा सकता है, थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर के साथ अपनी मुहर लगाने और वहां से नमूने लेने की अनुमति दे सकता है और इस प्रकार लिए गए प्रतिबंधित पदार्थ के नमूनों को भी पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर से सील किया जाएगा।

12. जैसा कि ऊपर देखा गया है, 30 अप्रैल, 2007 की अगले दिन सुबह स्टेशन हाउस अधिकारी द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ को सील कर दिया गया था। यह स्पष्ट करने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि, यदि निषिद्ध पदार्थ और अपीलकर्ता को 29 अप्रैल, 2007 को रात 08:30 बजे पुलिस स्टेशन में पेश किया गया था तो स्टेशन हाउस अधिकारी ने 30 अप्रैल, 2007 को अगले दिन सुबह अपनी मुहर क्यों लगाई थी। 29 अप्रैल, 2007 की रात 08:30 बजे से 30 अप्रैल, 2007 की सुबह के बीच प्रतिबंधित पदार्थ किसकी हिरासत में रहा और प्रतिबंधित पदार्थ वाले

बैग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। इसलिए पूरी कवायद और भी संदेहास्पद और संदिग्ध हो जाती है।

13. पूछे जाने पर श्री ए.एस. गिल, वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता, अधिनियम के तहत किसी भी प्रावधान को इंगित करने में सक्षम नहीं थे, जो गिरफ्तार करने वाले अधिकारी को पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति के बिना स्वयं नमूने लेने के लिए अधिकृत करता था, जैसा कि अधिनियम की धारा 55 के तहत विचार किया गया या सक्षम मजिस्ट्रेट, जैसा कि धारा 52 ए की उप-धारा (2) के खंड (सी) के तहत विचार किया गया है।

14. मौजूदा मामले में थाना प्रभारी की मौजूदगी में सैंपल नहीं लिया गया था। पीडब्लू 1 के बयान के अनुसार, उन्हें मौके पर ही लिया गया था, जबकि अधिनियम की धारा 55 के अनुसार, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी की उपस्थिति में नमूने लिए जाने चाहिए थे और इस प्रकार लिए गए नमूनों पर थाने के प्रभारी अधिकारी की मुहर लगानी होती थी। इसलिए, PW1 का यह कथन कि उसके द्वारा मौके पर ही नमूने लिए गए थे, कोई मूल्य नहीं रखता है। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ने पीडब्लू1 द्वारा बनाए गए नमूने स्वयं सत्यापित किए थे, वास्तव में, थाने में जमा किए गए

वर्जित पदार्थ से इस प्रकार लिए गए नमूने के सत्यापन के बाद ही उसने उस पर अपनी मुहर लगाई थी।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने किशन चंद बनाम हरियाणा राज्य के मामले में (2013) 2 एस. सी. सी. 502 में पैराग्राफ नं. 22, निम्नलिखित रूप में देखा गया हैः

> "22. इन प्रावधानों का उद्देश्य झूठे निहितार्थ के खिलाफ एक संदिग्ध को उचित सुरक्षा प्रदान करना है और यह सुनिश्चित करना है कि निष्पक्ष जांच और परीक्षण के विधायी जनादेश को आगे बढ़ाने के लिए इन प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाए। यह आपराधिक न्यायशास्त्र के बहुत सार का विरोध करेगा, अगर इन प्रावधानों के साथ उनकी संपूर्णता में स्पष्ट और गैर-अनुपालन को स्वीकार किया जाता है, तो अदालत को पूर्वाग्रह के तत्व की जांच करनी होगी। पूर्वाग्रह का तत्व कुछ महत्व का है जहां प्रावधान निर्देशिका हैं या पर्याप्त अनुपालन को स्वीकार करने वाली प्रकृति के हैं। जहां कर्तव्य निरपेक्ष है, पूर्वाग्रह का तत्व कम से कम प्रासंगिक होगा। सख्त अनुपालन के साथ पूर्ण कर्तव्य पूर्वाग्रह के तत्व को समाप्त कर देगा जहां प्रावधान के साथ पूर्ण गैर-अनुपालन है।"

16. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को 29 अप्रैल, 2007 को रात 08:15 बजे, मजिस्ट्रेट को कोई पूर्व आवेदन और अनुमति के बिना, झूलापुल,

बागेश्वर के निकट बाजार से गिरफ्तार किया गया था जबकि मजिस्ट्रेट एक किलोमीटर के भीतर रह रहे थे। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग रात 11:10 बजे पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी, अर्थात गिरफ्तारी के समय से लगभग तीन घंटे पश्चात और निश्चित रूप से पुलिस स्टेशन गिरफ्तारी के स्थान से एक किलोमीटर के भीतर है। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में विलम्ब के संबंध में कोई स्पष्टीकरण सामने नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, प्रतिबंधित पदार्थ को पहली बार 30 अप्रैल, 2007 की सुबह पुलिस थाने के प्रभारी के सामने पेश किया गया था और इस बात का कोई स्पष्टीकरण नहीं कि उसे जब्त करने के तुरंत पश्चात पुलिस थाने के प्रभारी के सामने क्यों पेश नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 57 के तहत आवश्यक होने पर जब्ती और अपीलकर्ता की गिरफ्तारी के बारे में जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को कब भेजी गई, यह सुझाव देने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है। इसलिए, हमारे विचार में, गिरफ्तारी, जब्ती और पूरी अभियोजन कहानी अत्यधिक संदिग्ध हो जाती है। नतीजतन, हम अपील के तहत निर्णय और आदेश को बनाए रखने में असमर्थ हैं। हालांकि, फैसला सुनाने से पहले, हम गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त किए गए प्रतिबंधित पदार्थ को प्रक्रिया के तहत निपटाना चाहेंगे।

17. उत्तराखंड राज्य में, हमने देखा है कि वाणिज्यिक मात्रा में बरामद मादक पदार्थ जल्द से जल्द नष्ट नहीं किए जा रहे हैं और उन्हें या तो पुलिस माल खाना में या अदालत के माल खाना में रखा जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुंदरभाई अंबालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य, का मामला, **(2002) 10 एस. सी. सी. 283, पैरा सं. 19,** 20 और 21 ने निम्नलिखित रूप में अवलोकन किया हैः

> "19. जब्त शराब जैसी वस्तुओं के लिए भी आवश्यक पंचनामा तैयार कर निस्तारण की कार्यवाही की जाए। यदि नमूना लेने की आवश्यकता है, तो आवश्यक होने पर रासायनिक विश्लेषक को भेजने के बाद नमूना ठीक से रखा जा सकता है। लेकिन किसी भी सूरत में थाने में भारी मात्रा में शराब नहीं रखी जानी चाहिए। इस तरह के भंडारण से कोई उद्‌देश्य पूरा नहीं होता है।
>
> 20. इसी प्रकार नारकोटिक ड्रग्स के लिए भी इसकी पहचान के लिए धारा 451 Cr.P.C. रिकॉर्डिंग साक्ष्य और निपटान का पालन किया जाना चाहिए। इसकी पहचान मजिस्ट्रेट द्‌वारा दर्ज साक्ष्य के आधार पर हो सकती है। नमूने भी तुरंत रासायनिक विश्लेषक को भेजे जाने चाहिए ताकि बाद में यह तर्क न दिया जा सके कि जो वस्तु जब्त की गई थी वह वही नहीं थी।

21. यद्यपि इन शक्तियों का प्रयोग संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाना है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि संबंधित मजिस्ट्रेट धारा 451 Cr.P.C के उन शक्तियों को देखने के लिए तत्काल ठीक से और तुरंत कार्रवाई करेंगे और वस्तुओं को पुलिस स्टेशन में लंबे समय तक नहीं रखा जाता है, किसी भी मामले में, पंद्रह दिनों से एक महीने तक से अधिक नहीं। इस उद्देश्य को तब भी प्राप्त किया जा सकता है जब संबंधित उच्च न्यायालय की पंजीकरण द्वारा यह देखने के लिए उचित पर्यवेक्षण किया जाए कि ऐसे अनुच्छेदों के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों को ठीक से लागू किया गया है।"

18. अब प्रश्न यह उठता है कि यदि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थ ले जाने के लिए गिरफ्तार किया जाता है और इस तरह के प्रतिबंधित पदार्थ को जब्त कर सीलबंद लिफाफे में रखा जाता है, तो रासायनिक विश्लेषण के लिए इसका नमूना कैसे एकत्र किया जाएगा और इस तरह बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ से कैसे निपटा जाएगा?

19. अधिनियम की धारा 52 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः

"52. गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और जब्त की गई वस्तुओं का निपटान।-

(1) खंड 41, खंड 42, खंड 43 या खंड 44 के से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने वाला कोई भी अधिकारी, जितनी जल्दी हो सके, उसे ऐसी गिरफ्तारी के आधार के बारे में सूचित करेगा।

(2) धारा 41 खंड उपधारा (1) से जारी वारंट से गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के उस मजिस्ट्रेट को अग्रेषित किया जाएगा जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया था।

(3) धारा 41 खंड उपधारा (2), धारा 42, धारा 43 या धारा 44 से गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के अग्रेसित करेगा : -

(ए) निकटतम पुलिस स्टेशन का प्रभारी अधिकारी, या

(बी) खंड 53 से अधिकार प्राप्त अधिकारी।

(4) वह प्राधिकारी या अधिकारी जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) से कोई व्यक्ति या वस्तु अग्रेषित की जाती है, सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा जो ऐसे व्यक्ति या वस्तु की विधि के अनुसार निपटान के लिए आवश्यक हों।"

20. अधिनियम की खंड 52 की उप-खंड (3) और (4) के प्रावधानों को देखने के बाद, हम पाते हैं कि खंड 41 की उप-खंड (2), खंड 42, खंड 43 या खंड 44 के से गिरफ्तार किए गए प्रत्येक व्यक्ति और जब्त की गई

वस्तु को बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के निकटतम पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या खंड 53 से अधिकार प्राप्त अधिकारी को भेज दिया जाएगा। तत्पश्चात, पुलिस स्टेशन या प्राधिकरण का प्रभारी अधिकारी, जिसे, गिरफ्तार किया गया व्यक्ति या वस्तु या तो उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के से भेजी गई है, सभी सुविधाजनक प्रेषण के साथ ऐसे उपाय करेगा जो कानून के अनुसार, ऐसे व्यक्ति या वस्तु के निपटान के लिए आवश्यक हो।

21. अधिनियम की खंड 52 की उप-खंड (4) के अनुसार, पुलिस स्टेशन का प्रभारी या अधिकारी गिरफ्तार किए गए व्यक्ति और जब्त की गई वस्तु के निपटान के लिए कानून के अनुसार उपाय करेगा। इसका अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (2) के साथ पठित संहिता की खंड 57,167 (1) के अनुसार केस डायरी की प्रविष्टियों के साथ तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, लेकिन चौबीस घंटे के बाद नहीं।

22. अधिनियम की खंड 52 ए निम्नानुसार हैः

"52 ए। जब्त मादक पदार्थों और मनोदैहिक पदार्थ का निपटान।-

(1) केन्द्र सरकार, किसी भी मादक पदार्थों या मादक पदार्थों की खतरनाक प्रकृति, उनकी चोरी, प्रतिस्थापन, उचित भंडारण स्थान की बाधाओं या किसी अन्य प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखते हुए, आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी मादक दवाओं या मादक पदार्थों या मादक पदार्थों के वर्ग या मादक पदार्थों के वर्ग को निर्दिष्ट कर सकती है, जिन्हें उनकी जब्ती के तुरंत पश्चात ऐसे अधिकारी द्वारा और इस तरह से निपटाया जाएगा कि सरकार समय-समय पर इसके बाद निर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के बाद निर्धारित कर सकती है।

(2) जहां किसी मादक द्रव्य या मादक द्रव्य को जब्त कर लिया गया है और उसे निकटतम पुलिस थाने के प्रभारी या धारा 53 से अधिकार प्राप्त अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी मादक द्रव्यों या मादक द्रव्यों खंड सूची तैयार करेगा, जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग का तरीका, निशान, संख्या या मादक द्रव्यों या मादक द्रव्यों खंड ऐसी अन्य पहचान संबंधी विवरण या पैकिंग, जिसमें वे पैक किए गए हैं, मूल देश और अन्य विवरण होंगे, जैसा कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी इस अधिनियम से किसी कार्यवाही में मादक द्रव्यों या मादक द्रव्यों खंड पहचान के लिए प्रासंगिक विचार कर सकता है और एक आवेदन कर सकता है।

(ए) इस तरह से तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या

(बी) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, ऐसी दवाओं या पदार्थों की तस्वीरें लेना और ऐसी तस्वीरों को सही के रूप में प्रमाणित करना; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी दवाओं या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लेने की अनुमति देना और इस प्रकार तैयार किए गए नमूनों की किसी भी सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना।

(3) जहां उपधारा (2) से आवेदन किया जाता है, वहां मजिस्ट्रेट, जितनी जल्दी हो सके, आवेदन की अनुमति देगा।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम से अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, सूची, मादक पदार्थों या मनःप्रभावी पदार्थों की तस्वीरें और उपधारा (2) से तैयार किए गए नमूनों और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित नमूनों की किसी सूची को ऐसे अपराध के संबंध में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में मानेगा।"

23. धारा 52ए को अधिनियम में 29 मई, 1989 को नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थों में अवैध तस्करी के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के अनुसार जोड़ा गया था। धारा 52ए की उप-धारा

(1) की भाषा यह सुझाव देगी कि वर्जित सामग्री की खतरनाक प्रकृति और चोरी, प्रतिस्थापन, दुरुपयोग या उचित भंडारण स्थान की बाधाओं या किसी अन्य प्रासंगिक विचार, दवाओं या पदार्थों की उनकी भेद्यता को ध्यान में रखते हुए अधिसूचित किया गया है। धारा 52 ए की उप-धारा (2) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद केंद्र सरकार द्वारा इस तरह से नष्ट किया जाएगा जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है।

24. केंद्र सरकार ने अधिनियम की खंड 52 ए की उप-खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29 मई, 1989 को एक अधिसूचना जारी की है, जो इस प्रकार हैः

"वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), अधिसूचना नं. S.O. 381 (ई), दिनांक 29 मई, 1989, भारत के राजपत्र में प्रकाशित।, अतिरिक्त भाग II, खंड 3 (ii), दिनांक 29 मई, 1989,पृ. 2 [नहीं। 4/89-एफ. नं. 664/23/89- अफीम]

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की खंड 52-क की उपखंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, उनकी खतरनाक प्रकृति, चोरी की संवेदनशीलता, प्रतिस्थापन और उचित भंडारण स्थान की बाधाओं

को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों को निर्दिष्ट करती है, अर्थात्ः-

1. नशीली दवाएंः

(i) अफीम

(ii) मॉर्फिन

(iii) हेरोइन

(iv) गांजा

(v) हशीश

(vi) कोडीन

(vii) थेबेन

(viii) कोकेन

(ix) अधिनियम की खंड 2 के खंड (xi) के से परिभाषित पोस्ता पुआल और कोई अन्य निर्मित दवा।

2. साइकोट्रोपिक पदार्थः

(i) मेथाक्वालोन

(ii) T.H.C.

(iii) एम्फेटामाइन और

(iv) उक्त अधिनियम की खंड 2 के खंड (xxiii) के से परिभाषित कोई अन्य मनोदैहिक पदार्थ।

25. धारा 52क की उपधारा (2) में यह उपबंध है कि पुलिस थाना का प्रभारी अधिकारी या धारा 53 से अधिकार प्राप्त अधिकारी, जिसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति या जब्त की गई वस्तु धारा 52 की उपधारा (4) से अग्रेषित की गई थी, ऐसी मादक दवाओं या मादक पदार्थों की सूची तैयार करेगा जिसमें उनके विवरण, गुणवत्ता, मात्रा, पैकिंग के तरीके, निशान, संख्या या ऐखंड अन्य पहचान विवरणों के पूर्ण विवरण होंगे, जिसमें मूल देश भी शामिल है, जिसे अधिकारी निषिद्ध पदार्थ की पहचान के लिए प्रासंगिक समझ सकता है और उसके बाद मजिस्ट्रेट को इस प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा कि (i) इस प्रकार तैयार की गई सूची की शुद्धता को प्रमाणित करना; या (ii) उपस्थिति में निषिद्ध पदार्थ की तस्वीरें लेना। अधिकारी प्रतिबंधित पदार्थ को नष्ट करने के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित आवेदन भी दे सकता है। यदि ऐसा आवेदन किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट के पास इसकी अनुमति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र के से इस प्रकार एकत्र की गई सूची, तस्वीरें और नमूने विचारण में प्राथमिक साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाएंगे।

26. हमने अनुभव किया है कि हमारे राज्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, या अधिनियम की धारा 52 ए का कोई अनुपालन नहीं किया जा रहा है। हमारी दृढ़ मत में, जिस क्षण अधिनियम की धारा 52 ए की उप-धारा (1) के से केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मादक पदार्थ या मादक पदार्थ या प्रतिबंधित पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा जब्त की जाती है, पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या अधिनियम की धारा 53 के से अधिकार प्राप्त अधिकारी, जिसे आरोपी या जब्त की गई वस्तुओं को धारा 52 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के से अग्रेषित किया गया था, को इस तरह से तैयार की गई सूची के प्रमाणन के लिए तुरंत मजिस्ट्रेट से संपर्क करना चाहिए और प्रतिबंधित पदार्थ की तस्वीरें लेनी चाहिए और उसके नमूने मात्र मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके प्रमाण पत्र द्वारा लिए जाने चाहिए और मामले में आरोप-पत्र दायर होने के तुरंत पश्चात ऐसे प्रतिबंधित पदार्थ को चोरी, दुरुपयोग, अंतर्वेशन, या तो नमूनों में या इस तरह बरामद किए गए प्रतिबंधित पदार्थ में प्रतिस्थापन को रोकने के लिए इसको नष्ट करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ।

27. हमारी दृढ़ मत में, हालांकि 29 मई, 1989 की केंद्र सरकार की अधिसूचना में उल्लिखित मादक पदार्थों और मादक पदार्थों के तत्काल निपटान की आवश्यकता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 52 ए के से निर्धारित किया गया है, यद्यपि हमारी दृढ़ मत में, यदि किसी भी मादक

पदार्थ या मादक पदार्थ की वाणिज्यिक मात्रा को चोरी, दुरुपयोग, प्रतिस्थापन और उचित भंडारण स्थान की बाधाओं को ध्यान में रखते हुए जब्त किया जाता है, तो यह वांछनीय है कि पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी या धारा 53 के से अधिकार प्राप्त अधिकारी, जिन्हें धारा 52 के से इस तरह खंड जब्त किए विद्वान प्रतिबंधित पदार्थ भेजे विद्वान थे, को तुरंत इन्वेंट्री की शुद्धता को प्रमाणित करने, तस्वीरें लेने और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनके प्रमाण पत्र के से सभी नमूने लेने के लिए विद्वान मजिस्ट्रेट खंड संपर्क करना चाहिए।

28. अपील स्वीकार की जाती है। 27 फरवरी, 2008 के विवादित निर्णय और आदेश को खारिज कर दिया गया है। तदनुसार, अपीलकर्ता को बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर है। उसे आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता नहीं है।

29. इस निर्णय की एक प्रति उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक के साथ-साथ सभी सत्र न्यायाधीशों को इसके सख्त अनुपालन के लिए भेजी जाए।

30. निचली अदालत के रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजे जाएं।

(आलोक सिंह, जे.) **(बारिन घोष, सी.जे.)**

जी.